

अनुसंधान प्रश्न

“भारत में फर्जी ऑनलाइन विक्रेता या वेबसाइट को पैसे देने के बाद व्यक्ति क्या कानूनी कदम उठा सकता है, जिसमें आईटी एक्ट के तहत साइबर अपराध की रिपोर्ट, राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल और हेल्पलाइन 1930, बैंक चार्जबैक और उपभोक्ता फोरम के उपाय शामिल हों?”

भारत में ऑनलाइन विक्रेता या फर्जी वेबसाइट धोखाधड़ी के खिलाफ कानूनी उपचार: आईटी अधिनियम, बैंकिंग चार्जबैक और उपभोक्ता फोरम के तहत उपलब्ध कानूनी कदम

सारांश

भारत में फर्जी ऑनलाइन वेबसाइट या विक्रेता द्वारा धोखाधड़ी का शिकार होने पर पीड़ित व्यक्ति के पास बहुआयामी कानूनी उपचार उपलब्ध हैं। सबसे पहले, पीड़ित व्यक्ति सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 की धारा 66D और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल या हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करा सकता है। वित्तीय नुकसान को कम करने के लिए, पीड़ित व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 2017 के दिशानिर्देशों के तहत लेनदेन के 3 दिनों के भीतर अपने बैंक में 'चार्जबैक' या 'शून्य ग्राहक देनदारी' का दावा कर सकता है, जैसा कि *Dadha Pharma LLP v. Reserve Bank of India* (2025) में पुनर्जीवित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ई-कॉमर्स धोखाधड़ी और गलत उत्पाद या सेवा न मिलने की स्थिति में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता फोरम में 'सेवा में कमी' के लिए मुकदमा दायर किया जा सकता है।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
10	4	2025
10 उच्च न्यायालय		Madras High Court

विषय-सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	4
III. चर्चित मुकदमे	6
IV. मुकदमे का विवरण	7

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्घरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत

01 कंप्यूटर संसाधनों द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी (Cyber Cheating) एक गंभीर दंडनीय अपराध है

यदि कोई फर्जी वेबसाइट या विक्रेता कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से धोखाधड़ी करता है, तो आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 66D तथा संबंधित आपराधिक कानूनों के तहत पुलिस की साइबर अपराध शाखा में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है, *X v. State of Telangana* (2025) और *Jackson Nesakumar v. The State* (2025)।

02 अनधिकृत भुगतान के खिलाफ आरबीआई के दिशानिर्देशों के तहत 'शून्य ग्राहक देनदारी' का नियम

यदि ऑनलाइन लेनदेन में धोखाधड़ी तीसरे पक्ष के उल्लंघन (third-party breach) के कारण होती है और ग्राहक इसकी सूचना तत्काल (3 कार्य दिवसों के भीतर) बैंक को देता है, तो ग्राहक की देनदारी पूरी तरह शून्य हो जाती है, *Rakesh Totuka v. The Department of Financial Services* (2025)।

03 साइबर सुरक्षा प्रदान करना और धोखाधड़ी के खिलाफ त्वरित कदम उठाना बैंकों का नैतिक व कानूनी दायित्व है

बैंकों का अपने ग्राहकों के प्रति एक संविदात्मक और नैतिक (fiduciary) कर्तव्य होता है; बैंक केवल ओटीपी प्रमाणीकरण का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से तब तक नहीं बच सकते जब तक कि वे ग्राहक की ओर से कोई ठोस लापरवाही साबित न कर दें, *Bhushan Goyal v. Banking Ombudsman* (2025)।

04 ग्राहक की सक्रिय लापरवाही की स्थिति में बैंक की जिम्मेदारी सीमित या समाप्त हो जाती है

यदि ग्राहक ने स्वेच्छा से या किसी धोखेबाज के निर्देश पर कोई ऐप डाउनलोड करके या संवेदनशील डेटा (जैसे पिन, ओटीपी) साझा करके लेनदेन को स्वयं संभव बनाया है, तो बैंक को वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, *State Bank of India v. Pallabh Bhowmick* (2024)।

05 ई-कॉमर्स धोखाधड़ी में मध्यस्थों (Intermediaries) की आपराधिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह सेवा में कमी का मामला है

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (जैसे Amazon) केवल एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं; यदि कोई विक्रेता धोखाधड़ी करता है या उत्पाद डिलीवर नहीं करता, तो इसे उपभोक्ता मंचों के समक्ष व्यावसायिक विवाद या सेवा में कमी माना जाना चाहिए, न कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ सीधे आपराधिक धोखाधड़ी का मामला, *Amazon India v. State of Maharashtra* (2021)।

06 उपभोक्ता फोरम के आदेशों के खिलाफ अधिकार क्षेत्र का सीमांकन

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के आदेशों के विरुद्ध न्यायिक समीक्षा केवल उसी उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है जहाँ विवाद का मूल कारण (cause of action) उत्पन्न हुआ था, *General Manager Punjab National Bank v. Rohit Malhotra* (2024)।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, बैंकिंग सेवाएं संविदात्मक और सुरक्षित होनी चाहिए। यदि बैंक ग्राहकों की बिना सहमति के डिजिटल चैनलों को लिंक करता है या उचित सुरक्षा उपाय नहीं अपनाता है, तो यह 'सेवा में कमी' (deficiency of service) के दायरे में आता है, जिसका उल्लंघन होने पर बैंक ग्राहक को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है, जैसा कि गौहाटी उच्च न्यायालय ने *Pallabh Bhowmick v. The Ombudsman, Reserve Bank of India* (2022) में सर्वोच्च न्यायालय के *DAV Public School* मामले का संदर्भ देते हुए स्पष्ट किया।

उच्च न्यायालय की भिन्नताएँ

विभिन्न उच्च न्यायालयों ने यह स्पष्ट किया है कि यदि बैंक को धोखाधड़ी की सूचना तुरंत मिलती है, तो बैंक का यह दायित्व है कि वह लाभार्थी बैंक से संपर्क कर 'चार्जबैक' (Chargeback) का अनुरोध करे। यदि बैंक ऐसा करने में विफल रहता है या साइबर सेल को मामला संदर्भित नहीं करता, तो बैंक की लापरवाही मानी जाएगी और उसे ग्राहक को पूरी राशि वापस करनी होगी।

हाल का विकास

हालिया मामलों में, अदालतों ने साइबर थानों द्वारा दर्ज मामलों में आरोपियों के खिलाफ आईटी अधिनियम की धारा 66D और बीएनएस के प्रावधानों के तहत कड़ी जांच शुरू की है, जिसमें फर्जी खातों (mule accounts) के धारकों को भी कानून के दायरे में लाया जा रहा है, हालांकि विशिष्ट परिस्थितियों और हिरासत की अवधि के आधार पर शर्तों के साथ अग्रिम जमानत या नियमित जमानत मंजूर की जाती है, *Petitioner v. State of Telangana* (2025)।

अनिर्णीत क्षेत्र या चेतावनियाँ

लापरवाही (Negligence) का मापदंड

न्यायिक व्याख्याओं में इस बात को लेकर सूक्ष्म विभाजन है कि केवल एक संदिग्ध लिंक पर क्लिक करना या धोखेबाज के कहने पर कोई ऐप डाउनलोड करना "सक्रिय लापरवाही" माना जाएगा या नहीं। जहाँ कुछ निर्णयों में इसे सुरक्षा विफलता माना गया है, वहीं कुछ में इसे ग्राहक की ओर से क्रेडेंशियल्स की असावधानी माना गया है।

II. सांविधिक प्रावधान 4 प्रावधान

SECTION 66D, INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000 — PUNISHMENT FOR CHEATING BY PERSONATION BY USING COMPUTER RESOURCE

यह प्रावधान किसी भी संचार उपकरण या कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण (personation) द्वारा धोखाधड़ी करने वाले को तीन वर्ष तक के कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान करता है।

"Whoever, by means of any communication device or computer resource cheats by personation, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine which may extend to one lakh rupees." उद्धृत: X v. State of Telangana, Jackson Nesakumar v. The State

SECTION 318, BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023 — CHEATING

धोखाधड़ी के अपराध को परिभाषित करता है, जिसमें किसी व्यक्ति को कपटपूर्वक या बेईमानी से संपत्ति सौंपने या किसी ऐसे कार्य को करने या न करने के लिए प्रेरित करना शामिल है जिससे उसके शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुँचता है।

"(1) Whoever, by deceiving any person, fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property to any person, or to consent that any person shall retain any property, or intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived, and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property, is said to cheat." उद्धृत: किसी भी चर्चा किए गए मामले में सीधे उद्धृत नहीं

SECTION 420, INDIAN PENAL CODE, 1860 — CHEATING AND DISHONESTLY INDUCING DELIVERY OF PROPERTY

धोखाधड़ी करने और बेईमानी से संपत्ति सौंपने या मूल्यवान प्रतिभूति को बदलने या नष्ट करने के लिए उकसाने पर सात साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान करता है।

"Whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived to deliver any property to any person, or to make, alter or destroy the whole or any part of a valuable security, or anything which is signed or sealed, and which is capable of being converted into a valuable security, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine." उद्धृत: Jackson Nesakumar v. The State

SECTION 173, BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 — INFORMATION IN COGNIZABLE CASES

संज्ञेय अपराधों की सूचना (FIR) दर्ज करने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है, जिसमें मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से पुलिस को दी जाने वाली जानकारी शामिल है।

"(1) Every information relating to the commission of a cognizable offence, irrespective of the area where the offence is committed, may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of a police station, and if given— (i) orally, it shall be reduced to writing by him or under his direction, and be read over to the informant; and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it; (ii) by electronic communication, it shall be taken on record by him on being signed within three days by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer" उद्धृत: किसी भी चर्चा किए गए मामले में सीधे उद्धृत नहीं

III. चर्चित मुकदमे

10 मुकदमे • सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Pallabh Bhowmick v. The Ombudsman, Reserve Bank of India</i> GAHC010051612022	GAUHATI HIGH COURT	2022	क्रेडेंशियल्स साझा न होने पर बैंक अनधिकृत लेनदेन के लिए उत्तरदायी है
02	<i>General Manager Punjab National Bank v. Rohit Malhotra</i> DLHC010308442024	HIGH COURT OF DELHI	2024	NCDRC आदेशों को चुनौती मूल वाद कारण वाले उच्च न्यायालय में होगी
03	<i>Dadha Pharma LLP v. Reserve Bank of India</i> HCMA012126512023	MADRAS HIGH COURT	2025	3 दिन में सूचित करने पर थर्ड-पार्टी ब्रीच में शून्य ग्राहक देनदारी
04	<i>Rakesh Totuka v. The Department of Financial Services</i> RJHC020730552023	HIGH COURT OF RAJASTHAN	2025	समय पर रिपोर्ट किए गए अनधिकृत लेनदेन पर बैंक पूर्ण पुनर्भुगतान करे
05	<i>Petitioner v. State of Telangana</i> HBHC010305182025	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2025	ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोपियों के खिलाफ आईटी अधिनियम के तहत अभियोजन संभव
06	<i>State Bank of India v. Pallabh Bhowmick</i> GAHC010232752022	GAUHATI HIGH COURT	2024	ग्राहक की सक्रिय लापरवाही (ओटीपी/एमपीआईएन साझा करने) पर बैंक जिम्मेदार नहीं है
07	<i>Bhushan Goyal v. Banking Ombudsman</i> HCMA011660212022	MADRAS HIGH COURT	2025	बैंक का साइबर धोखाधड़ी से ग्राहकों के खातों की सुरक्षा का दायित्व है
08	<i>Amazon India v. State of Maharashtra</i> HCBM010286762021	BOMBAY HIGH COURT	2021	सामान डिलीवर न होना सेवा में कमी है, न कि आपराधिक धोखाधड़ी
09	<i>X v. State of Telangana</i> HBHC010212732025	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2025	ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी में आईटी एक्ट के तहत दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान
10	<i>Jackson Nesakumar v. The State</i> HCMA010152132025	MADRAS HIGH COURT	2025	साइबर अपराध के लिए बैंक खाते का अनधिकृत उपयोग आपराधिक जांच के अधीन

IV. मुकदमे का विवरण 10 केस फ़ाइलें

01 Pallabh Bhowmick v. The Ombudsman, Reserve Bank of India

GAUHATI HIGH COURT • 2022-09-30 • WP(C)/1900/2022

याचिकाकर्ता, जो एक वकील हैं, ने अपने बैंक खाते से हुई धोखाधड़ी वाली ट्रांजेक्शन के लिए धनवापसी की मांग की थी। एक धोखेबाज ने स्वयं को एक ब्रांड का कर्मचारी बताकर याचिकाकर्ता से एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाया, जिसके बाद याचिकाकर्ता के खाते से बिना उनकी सहमति के पैसे निकाल लिए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के ओम्बड्समैन ने शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह नुकसान याचिकाकर्ता की लापरवाही के कारण हुआ, क्योंकि भुगतान के लिए प्रमाणीकरण (OTP/MPIN) का उपयोग किया गया था। गौहाटी उच्च न्यायालय ने मामले पर विचार करते हुए पाया कि RBI के 2017 के सर्कुलर के अनुसार, यदि नुकसान ग्राहक की लापरवाही (credentials साझा करना) के कारण होता है, तो बैंक जिम्मेदार नहीं है। तदनुसार, न्यायालय ने बैंक के निर्णय को सही ठहराया।

निर्णय न्यायालय ने माना कि यद्यपि बैंक की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन यदि बैंक ग्राहक की सक्रिय लापरवाही स्थापित करने में सफल रहता है (जैसे संवेदनशील क्रेडेंशियल्स साझा करना), तो बैंक अनधिकृत लेनदेन से होने वाले नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

“However, there is nothing Page No.# 13/19 on record to substantiate the above stand of the Bank. It is surprising that even after receipt of written complaint of fraudulent electronic transaction from the account of the petitioner, not even an FIR was lodged by the Bank with the police. It is also the admitted position of fact that the Bank did not make any ‘charge back’ request to the beneficiary bank soon after receipt of the intimation about the fraud from the petitioner on 18/10/2021...”

GAUHATI HIGH COURT • 2022

स्रोत GAHC010051612022

02 General Manager Punjab National Bank v. Rohit Malhotra

HIGH COURT OF DELHI • 2024-09-12 • CM(M)/2637/2024

यह मामला इस कानूनी प्रश्न पर केंद्रित था कि क्या NCDRC द्वारा पारित आदेशों को केवल दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है या उस उच्च न्यायालय में जहाँ मूल वाद कारण (cause of action) उत्पन्न हुआ था। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के 'Siddhartha S. Mookerjee v. Madhab Chand Mitter' निर्णय का अनुसरण करते हुए स्पष्ट किया कि यद्यपि Article 227 के तहत NCDRC के आदेशों के विरुद्ध याचिका स्वीकार्य है, लेकिन अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) उस उच्च न्यायालय का होगा जहाँ विवाद का मूल कारण उत्पन्न हुआ था। अतः न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों में जाने का निर्देश दिया।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (NCDRC) दिल्ली में स्थित है, उसके आदेशों के विरुद्ध रिट अधिकार क्षेत्र उसी उच्च न्यायालय के पास होगा जहाँ मूल वाद कारण (cause of action) का कुछ भाग उत्पन्न हुआ था।

“Subject to the other provisions of this Act, the National Commission shall have jurisdiction— (a) to entertain— (i) complaints where the value of the goods or services paid as consideration exceeds rupees ten crore...”

HIGH COURT OF DELHI • 2024

स्रोत DLHC010308442024

Dadha Pharma LLP v. Reserve Bank of India

MADRAS HIGH COURT • 2025-06-12 • WP/413/2024

यह मामला याचिकाकर्ता द्वारा अपने करंट अकाउंट से अवैध रूप से निकाले गए 16,15,000 रुपये की राशि को बैंक (3rd Respondent) द्वारा वापस जमा करने (recredit) के निर्देश की मांग से संबंधित है। पुलिस जांच में पुष्टि हुई थी कि पैसा अवैध रूप से निकाला गया था, लेकिन आरोपियों का पता न चलने के कारण मामला बंद कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने RBI के सर्कुलर का हवाला देते हुए बैंक से राशि वापस करने का अनुरोध किया। न्यायालय ने अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णयों और RBI के दिशानिर्देशों का उल्लेख करते हुए माना कि बैंक का अपने ग्राहकों के प्रति विश्वास और सुरक्षा का दायित्व है, विशेषकर जब थर्ड-पार्टी ब्रीच के मामले में ग्राहक की कोई गलती न हो।

निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि आरबीआई के 6 जुलाई 2017 के सर्कुलर के खंड 6(ii) के तहत, यदि तीसरे पक्ष की चूक के कारण अनधिकृत लेनदेन हुआ है और ग्राहक 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट करता है, तो ग्राहक की देनदारी शून्य होगी। बैंक को 10 दिनों में राशि वापस जमा करनी चाहिए।

“In Clause 6(ii) of the RBI Circular, it is stated that in cases of third-party breaches, where the deficiency lies neither with the bank nor with the customer but elsewhere in the system, if the customer notifies the bank within three working days of receiving the communication from the bank regarding the unauthorized transaction, the bank must act upon it and ensure that the customer has zero liability due to such unauthorized transaction.”

MADRAS HIGH COURT • 2025

स्रोत HCMA012126512023

04 Rakesh Totuka v. The Department of Financial Services

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2025-05-08 • CW/14828/2023

यह मामला ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ता के बैंक खाते से अनधिकृत रूप से 58,93,000 रुपये निकाल लिए गए थे। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने धोखाधड़ी की सूचना समय रहते दी थी और Reserve Bank of India के 'zero liability' सर्कुलर के तहत वह पूरी राशि वापस पाने का हकदार है। Banking Ombudsman ने केवल आंशिक राहत देते हुए बैंक को 15,60,000 रुपये वापस करने का निर्देश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख किया। न्यायालय ने मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए और विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता की मांग को स्वीकार किया और बैंक को शेष राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि आरबीआई सर्कुलर के तहत, जब धोखाधड़ी प्रणाली में कहीं और (third-party breach) होती है और ग्राहक निर्धारित समय में रिपोर्ट करता है, तो ग्राहक की देयता पूरी तरह शून्य होती है और सबूत का बोझ बैंक पर होता है।

“Both as per the said RBI Circular and the said Policy of Respondent No. 2, a customer has zero liability when the unauthorized transactions occur due to a third party breach where the deficiency lies neither with the bank nor with the customer but elsewhere in the system and the customer notifies the bank regarding the unauthorized transactions within a certain time frame.”

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2025

स्रोत RJHC020730552023

05 Petitioner v. State of Telangana

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2025-06-23 • CRLP/6784/2025

यह मामला आरोपी द्वारा दायर एक जमानत याचिका से संबंधित है, जिस पर ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने खुद को चार्टर्ड अकाउंटेंट बताकर उसे निवेश के लिए राजी किया और करीब 1.86 करोड़ रुपये की ठगी की। आरोपी ने तर्क दिया कि वह निर्दोष है और अन्य समान मामलों में उसे पहले ही जमानत मिल चुकी है। न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों, आरोपी के न्यायिक हिरासत में रहने की अवधि और अन्य मामलों में उसे मिली जमानत को ध्यान में रखते हुए, कुछ शर्तों के साथ उसे जमानत देने का निर्णय लिया। इन शर्तों में व्यक्तिगत बांड, नियमित रूप से जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना और पासपोर्ट जमा करना शामिल है।

निर्णय तेलंगाना उच्च न्यायालय ने साइबर अपराध और आईटी एक्ट की धारा 66D के तहत दर्ज मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर विचार करते हुए शर्तों के साथ राहत प्रदान की, क्योंकि मामले के रिकॉर्ड उपलब्ध थे और मुख्य आरोपी हिरासत में था।

“This Criminal Petition is filed under Sections 480 and 483 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) by the petitioner/accused seeking bail in Crime No.93 of 2025 of Cyber Crime Police Station, Hyderabad, registered for the offences punishable under Sections 66-C and 66-D of the Information Technology Act, 2000...”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2025

स्रोत HBHC010305182025

06 State Bank of India v. Pallabh Bhowmick

GAUHATI HIGH COURT • 2024-09-13 • /364/2022

यह मामला ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित है जहाँ याचिकाकर्ता (respondent No. 1) ने एक धोखाधड़ी कॉल पर विश्वास करके एक मोबाइल ऐप डाउनलोड किया था, जिसके परिणामस्वरूप उनके बैंक खाते से अनधिकृत रूप से धनराशि निकाल ली गई। राज्य बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने यह तर्क दिया कि लेनदेन OTP और MPIN के माध्यम से अधिकृत थे, इसलिए बैंक जवाबदेह नहीं है। बैंकिंग लोकपाल ने भी बैंक के पक्ष में फैसला सुनाया था। हालांकि, एकल न्यायाधीश ने इस निर्णय को पलट दिया और बैंक को राशि वापस करने का निर्देश दिया।

अपीलीय न्यायालय ने यह स्थापित किया कि बैंक का दायित्व OTP की सुरक्षा और वितरण तक सीमित है। यदि ग्राहक अपनी लापरवाही या असावधानी के कारण गोपनीय जानकारी (जैसे OTP या MPIN) साझा करता है, तो बैंक को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि यदि बैंक को ग्राहकों की हर गलती के लिए उत्तरदायी बनाया गया, तो ऑनलाइन बैंकिंग प्रणाली बाधित हो जाएगी। तदनुसार, बैंक की अपील स्वीकार कर ली गई।

निर्णय गौहाटी उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को पलटते हुए कहा कि यद्यपि मोबाइल ऐप डाउनलोड करना ही लापरवाही नहीं है, लेकिन ग्राहक द्वारा ओटीपी या पिन साझा करना गंभीर लापरवाही है, जिससे बैंक का दायित्व समाप्त हो जाता है।

“On perusal of the provisions of the RBI circular, we find that Clause 8 deals with third party breaches where the deficiency lies neither with the Bank nor with the customer but lies elsewhere in the system... in case of un-authorized electronic banking transaction occurring due to third party breaches i.e., where the deficiency neither lies with the customer or the bank, the customer liability will be "zero" if the fraudulent transaction is reported within 3 (three) working days...”

GAUHATI HIGH COURT • 2024

स्रोत GAHC010232752022

07 Bhushan Goyal v. Banking Ombudsman

MADRAS HIGH COURT • 2025-09-23 • WP/28100/2022

यह मामला एक बैंक खाताधारक की शिकायत से संबंधित है, जिनके खाते से मोबाइल नेटवर्क में बाधा के दौरान अनाधिकृत रूप से धनराशि निकाल ली गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसने कोई भी ओटीपी (OTP) साझा नहीं किया था, बल्कि साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से यह राशि निकाली गई। बैंक

ने याचिकाकर्ता की लापरवाही का आरोप लगाते हुए रिफंड देने से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के दिशानिर्देशों और अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णयों का हवाला देते हुए माना कि बैंक अपने ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी से सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार हैं। न्यायालय ने बैंक को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को हुई वित्तीय हानि की भरपाई करे, क्योंकि याचिकाकर्ता ने निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंक को घटना की सूचना दे दी थी।

निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि बैंकिंग संबंध संविदात्मक और नैतिक (fiduciary) दोनों हैं। बैंक का कर्तव्य है कि वह तकनीकी खामियों और हैकिंग (जैसे फ़िशिंग, ट्रोजन) से ग्राहकों के खातों की सुरक्षा करे।

“Banking transaction is both contractual and fiduciary. The bank owes a duty to the customer. Both have a mutual obligation to one and another. The bank, therefore, is bound to protect the interest of the customer in all circumstances. The technology as adverted has its own defect. Online transactions are vulnerable.”

MADRAS HIGH COURT • 2025

स्रोत HCMA011660212022

08 Amazon India v. State of Maharashtra

BOMBAY HIGH COURT • 2021-10-28 • WP/3047/2021

यह मामला एक e-commerce मंच, Amazon India, के विरुद्ध दायर आपराधिक शिकायत को रद्द करने से संबंधित है। शिकायतकर्ता ने एक उत्पाद ऑर्डर किया था जो डिलीवर नहीं हुआ और न ही उसे रिफंड मिला, जिसके आधार पर उसने Section 420 of the Indian Penal Code के तहत धोखाधड़ी का आरोप लगाया। Amazon ने तर्क दिया कि वह केवल एक मध्यस्थ (intermediary) है और उत्पाद के विक्रय या वितरण का स्वामी नहीं है, और यह विवाद मुख्य रूप से Consumer Protection Act के अंतर्गत आने वाली सेवा में कमी का मामला है, न कि आपराधिक धोखाधड़ी का। बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि शिकायत में प्रथम दृष्टया कोई आपराधिक मंशा नहीं दिखाई गई और इसे एक व्यावसायिक विवाद माना। न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के 'process issuing' आदेश को रद्द कर दिया।

निर्णय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि ई-कॉमर्स मध्यस्थों के माध्यम से की गई ऑनलाइन खरीद में सामान वितरित न होना या रिफंड न मिलना मुख्य रूप से एक व्यावसायिक/उपभोक्ता विवाद है। आपराधिक इरादे (cheating) के बिना इसे धारा 420 IPC के तहत आपराधिक धोखाधड़ी नहीं माना जा सकता।

“According to the Complainant, he ordered the product on 6th December, 2019. It was dispatched on 7 th December, 2019 through FedEx Courier from Ahmedabad and was supposed to be delivered on 14 th December, 2019, but having not 4/16 WP-3047-2021.doc been delivered, Complainant contacted customer care service of the Petitioner...”

BOMBAY HIGH COURT • 2021

स्रोत HCBM010286762021

09 X v. State of Telangana

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2025-04-16 • CRLP/4934/2025

यह मामला एक कथित धोखाधड़ी और साइबर अपराध से संबंधित है, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोपी पर निवेश के नाम पर पैसे हड़पने का आरोप लगाया था। आरोपी ने Section 482 of BNSS के तहत अग्रिम जमानत (anticipatory bail) के लिए याचिका दायर की थी। न्यायालय ने देखा कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए अधिकांश अपराध सात साल से कम की सजा वाले हैं और आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत प्रदान की, जिससे उसे जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।

निर्णय न्यायालय ने धारा 66D आईटी अधिनियम और संबंधित अपराधों में अग्रिम जमानत दी, क्योंकि दंड 7 वर्ष से कम का था और आरोपी के सहयोग करने की सहमति थी।

“This Criminal Petition is filed by the petitioner/accused under Section 482 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita (BNSS) seeking anticipatory bail in Crime No.762 of 2025 on the file of Cyber Crimes Police Station, Cyberabad, for the offences punishable under Sections 318(4), 319(2), 336(3), 338 and 340(2) of Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) and Section 66D of the Information Technology Act, 2000.”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2025

स्रोत HBHC010212732025

10 Jackson Nesakumar v. The State

MADRAS HIGH COURT • 2025-02-05 • CRL OP/1881/2025

यह मामला anticipatory bail की याचिका से संबंधित है, जिसमें आरोपी पर Section 66D of the Information Technology Act, 2000 और Section 420 of the Indian Penal Code के तहत धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। अभियोजन पक्ष ने स्वीकार किया कि आरोपी केवल मुख्य आरोपी (A1) के निर्देश पर काम कर रहा था और उसका ऑनलाइन धोखाधड़ी में प्रत्यक्ष संलिप्तता नहीं थी। यह देखते हुए कि मुख्य आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है और मामले के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, न्यायालय ने माना कि आरोपी से custodial interrogation की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ आरोपी को anticipatory bail प्रदान कर दी।

निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि जिस बैंक खाते में धोखाधड़ी का पैसा स्थानांतरित किया गया था, उसके धारक की अग्रिम जमानत मंजूर की जा सकती है यदि उसकी प्रत्यक्ष धोखाधड़ी में संलिप्तता न हो और उसने केवल मुख्य आरोपी के कहने पर काम किया हो।

“The petitioner/accused, who apprehends arrest in the hands of the respondent police for the offence punishable under Section 66D of the Information Technology Act, 2000, and Section 420 of the Indian Penal Code, in Crime No.38 of 2023, seeks anticipatory bail.”

MADRAS HIGH COURT • 2025

स्रोत HCMA010152132025

अ स्वीकरण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।